प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 26.02.2016

माननीय वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2016-2017 का बजट प्रस्तुत किया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- वर्ष 2016-2017 के बजट में कुल व्यय ₹ 158713.04 करोड़ का प्रावधान एवं कुल विनियोग राशि ₹ 170753.99 करोड़।
- वर्ष 2016-2017 के लिये ₹ 3509.81 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2016-2017 का राजकोषीय घाटा ₹ 24913.64 करोड़ होना संभावित है।
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।

- वर्ष 2016-2017 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 126095.14 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 46500.00 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 43676.36 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 11481.63 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 24437.15 करोड़ शामिल है।
- वर्ष 2016-2017 में वर्ष 2015-16 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमान से 93.92% की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2016-2017 में राजस्व व्यय ₹ 122585.33 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान ₹ 108834.92 करोड़ से ₹ 13750.40 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2016-2017 का प्रारंभिक शेष ₹ (-) 34.83 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ (-) 118.56 करोड़ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 153.39 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2015-16 के आयोजना व्यय ₹ 60348.88 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2016-2017 में कुल आयोजना व्यय ₹ 74401.69 करोड़ प्रावधानित है। इस प्रकार आयोजना व्यय में ₹ 14052.8 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है।
- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमान, वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान ₹ 12,894.49 करोड़ से बढ़कर ₹ 16,200.02 करोड़ हैं।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-2017 के बजट अनुमान, वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान ₹ 9084.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,781.53 करोड़ हैं।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.49 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का प्रतिशत 0.49 %
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 8.11 %

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- प्रदेश को लगातार चौथे वर्ष 'कृषि कर्मण अवार्ड' प्राप्त। जैविक खेती, जैविक उत्पादों आदि के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय जैविक कृषि मेला व संगोष्ठी का आयोजन।
- जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये "परम्परागत कृषि विकास योजना" लागू करने का निर्णय।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना तथा कृषि यंत्रों के वितरण पर अनुदान की योजनाओं को 2016–17 में विशेष रूप से क्रियान्वयन।
- किसानों के लिये राष्ट्रीय कृषि मण्डी की परिकल्पना के आधार पर पूरे देश की मण्डियों को इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर लाने हेतु कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों की उपज, देश भर में विभिन्न व्यापारियों द्वारा बोली लगाकर इलेक्ट्रानिक विपणन के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। प्रथम चरण में इस योजना अंतर्गत प्रदेश की 50 मण्डियों को सम्मिलित करना प्रस्तावित।
- कृषि वानिकी फसलों के लिये किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय।
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अधोसंरचना के विस्तार हेतु आगामी वर्ष से दो नये कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद में स्थापितं करने का निर्णय।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2016 से प्रारंभ।
- फसल कृषि कर्म, मृदा तथा जल संरक्षण एवं कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिये वर्ष 2016–17 के बजट में आयोजना मद में रूपये 2448 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित ।
- उद्यानिकी उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था के लिये शीतगृहों की क्षमता का विस्तार। निजी क्षेत्र में शीतगृहों की क्षमता 9.50 लाख टन से बढ़ाकर 15.00 लाख टन करने हेतु विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम।
- प्रदेश में कृषकों का रूझान प्याज उत्पादन में बढने के कारण प्रदेश प्याज उत्पादन में देश में दूसरे नम्बर।
- उद्यानिकी विकास हेतु आयोजना मद में रूपये 578 करोड़ का बजट प्रावधान।
- पशुपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से नवीन आचार्य विद्या सागर दुग्ध धारा योजना प्रारंभ।
- दुग्ध उत्पादन में हुई इस वृद्धि का मुख्य कारण कृत्रिम गर्भाधान योजना के लिये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना एवं तरल नत्रजन का उत्पादन एवं वितरण प्रारम्भ। पशुपालकों को चारा बीज उत्पादन हेतु नवीन चारा उत्पादन कार्यक्रम प्रारंभ।
- पशुपालन विभाग हेतु आयोजना मद में रूपये 402 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।

- मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्य पालन की गतिविधियों के विकास के लिये आयोजना मद में रूपये 39 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

भौतिक अधोसंरचना विकास

- वर्ष 2016-17 में सड़क निर्माण कार्यों के लिये ₹ 7361 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 5 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 6 हजार 500 गांवों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के डामरीकरण का लक्ष्य। सड़कों के लिये आयोजना मद में रूपये 7361 करोड़ का प्रावधान प्रस्तवित।
- ऊर्जा विभाग अंतर्गत वर्ष 2016-17 में ₹ 19,976.65 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2015-16 के बजट प्रावधान ₹ 9704.08 करोड़ से ₹ 10272.57 अधिक हैं।
- नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 184 करोड़ का प्रावधान।
- सिंहस्थ के सफल आयोजन हेतु वर्ष 2016–17 के बजट में रूपये 298 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में नवीन अठारह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल, जिनमें से चार परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्र एवं डिंडोरी जिले में तीन मध्यम परियोजनाएं प्रस्तावित।
- वर्ष 2016–17 में रूपये 582 करोड़ लागत की अलीराजपुर उदवहन सिंचाई योजना, में रूपये 530 करोड़ लागत की, रूपये 156 करोड़ लागत की जोबट विस्तार योजना तथा रूपये 1494 करोड़ लागत की चिंकी इरिगेशन योजना अंतर्गत रूपये 30 करोड़ का कार्य प्रारंभ करना प्रस्तावित इसके साथ ही रूपये 784 करोड़ की लागत की छैगांवमाखन परियोजना कार्य आरम्भ करने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– वाटर शेड विकास के नाम से नवीन योजना प्रारंभ। वर्ष 2016–17 के लिये इस योजना हेतु रूपये 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में ₹ **271** करोड़ का प्रावधान
- वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत 1,50,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य जिसके लिये वर्ष 2016–17 में रूपये 271 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- ग्रामीण विकास के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने और ग्रामों के समग्र विकास हेतु वर्ष 2016-17 में ₹ 10,732.35 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

नगरीय विकास

- मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत ₹ 122 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ₹ 400 करोड़ का प्रावधान।
- इन्दौर एवं भोपाल में मेट्रो परियोजना के लिये ₹ 452 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- ई–लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ।
- ई–लाडली लक्ष्मी योजना में रूपये 903 करोड़
- 'अभियान ई–शक्ति' प्रारंभ।

पेयजल

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में ₹ 2,599 करोड़ का प्रावधान जलप्रदाय के कार्यों के लिये प्रस्तावित। जो वर्ष 2015-16 के बजट प्रावधान से 15.92 प्रतिशत अधिक।

शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2016-17 में ₹ 845.39 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2015-16 के बजट प्रावधान से ₹ 196.16 करोड़ अधिक है।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में रूपये 495 करोड का प्रावधान
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार योजना अन्तर्गत रूपये 300 करोड़ का प्रावधान
- उच्च शिक्षा के लिये आयोजना अन्तर्गत रूपये 616 करोड़ का प्रावधान
- धार में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय । प्रावधान रूपये 13 करोड़
- मुख्य मंत्री कौशल संवर्धन योनजा का शुभारंभ

स्वास्थ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु रूपये 2038 करोड़ का प्रावधान।
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत रूपये 5643 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिये रूपये 845 करोड़ का प्रावधान।

पेयजल

- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु आयोजना मद में रूपये 709 करोड़ का प्रावधान।

उद्योग

- उद्योगों के विकास के लिये आयोजना मद में रूपये 2462 करोड़ का प्रावधान।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में आयोजना अंतर्गत विकास के विभिन्न शीर्षों के लिये प्रावधानों का विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विकास शीर्ष	2015-16	2016-17
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	5158.37	5521.01
2.	ग्रामीण विकास	12628.26	11596.90
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6255.83	7494.92
4.	उद्योग एवं खनिज	1940.93	2780.52
5.	परिवहन	3929.44	4658.18
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	267.87	233.61
7.	सामान्य आर्थिक सेवायें	661.01	926.76
8.	सामाजिक सेवायें	26206.14	30346.91
9.	सामान्य सेवायें	1733.06	331.63

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान - विभागवार विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	बजट अनुमान 2015-16	बजट अनुमान 2016-17
1.	सामान्य प्रशासन	494.14	502.71
2.	गृह	5383.49	5623.36
3.	जेल	270.64	342.35
4.	वाणिज्यिक कर	2595.54	2634.49
5.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	117.23	189.87
6.	राजस्व	3398.01	3821.79
7.	परिवहन	140.63	132.44
8.	खेल एवं युवक कल्याण	199.63	216.76
9.	वन	2698.08	2526.88
10.	वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार	1781.42	2584.19
11.	ऊर्जा	9704.08	19976.65
12.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2784.79	2949.82
13.	सहकारिता	892.14	1100.24
14.	श्रम	182.26	169.41
15.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4740.39	5643.86
16.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	6550.95	10669.43
17.	लोक निर्माण	5911.80	7124.58
18.	स्कूल शिक्षा	15749.47	20939.54
19.	विधि एवं विधायी कार्य	842.66	1003.52
20.	पंचायत	3135.87	4721.85
21.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	609.25	749.66
22.	जन संपर्क	252.86	245.12
23.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	5475.13	5898.99
24.	सामाजिक न्याय	1359.38	1598.08
25.	नर्मदा घाटी विकास	2045.69	2095.31

स.क्र.	विभाग	बजट अनुमान 2015-16	बजट अनुमान 2016-17
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1314.88	1330.26
27.	संस्कृति	142.94	197.18
28.	जल संसाधन	5417.45	6775.65
29.	पर्यटन	134.24	254.06
30.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2242.43	2599.47
31.	पशु पालन	864.78	938.54
32.	मछली पालन	81.35	82.83
33.	उच्च शिक्षा	2001.57	2509.26
34.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	218.24	178.29
35.	जन शक्ति नियोजन	800.64	902.92
36.	लोक सेवा प्रबंधन	107.50	132.62
37.	विमानन	22.34	22.27
38.	भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास	97.80	110.77
39.	संसदीय कार्य	72.76	81.30
40.	महिला एवं बाल विकास	4483.86	3922.46
41.	ग्रामोद्योग	316.88	359.70
42.	चिकित्सा शिक्षा	649.23	845.39
43.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	950.21	957.89
44.	अनुसूचित जाति कल्याण	1571.83	1581.84
45.	ग्रामीण विकास	11070.58	10732.35
46.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	608.23	742.94
47.	आयुष	392.01	414.56
48.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	54.64	184.00
49.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण	34.14	44.49

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2016-17 तक वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2016-17	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड़	₹ 1,58,713 करोड़	सात गुना से अधिक वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 46,500 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि
3	राज्य आयोजना व्यय	₹ 5,684 करोड़	₹ 74,402 करोड़	तेरह गुना से अधिक वृद्धि
4	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड़	₹ 36,128 करोड़	बारह गुना से अधिक वृद्धि
5	ब्याज भुगतान	₹ 3,206 करोड़	₹ 10,233 करोड़	बजट की सात गुना वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतान में केवल तीन गुना की वृद्धि
6	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,475 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 3,510 करोड़ (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है
7	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	8.11 प्रतिशत	कम होकर लगभग एक तिहाई हुआ
8	कुल आयोजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	26.26 प्रतिशत	47 प्रतिशत	डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई
9	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का प्रतिशत	2.80 प्रतिशत	5.06 प्रतिशत	डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	3.49 प्रतिशत	FRBM Act द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	19.33 प्रतिशत	एक तिहाई से अधिक कमी
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध ऋण का प्रतिशत	31.18 प्रतिशत	13.77 प्रतिशत	दो तिहाई से अधिक कमी
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 7,13,676 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि

राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2014-15	पुनरीक्षित अनुमान 2015-16	बजट अनुमान 2016-17	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.23	0.07	0.49	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.29	3.49	3.49	3.21	3.24	3.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	22.26	21.56	21.67	22.26	22.81	23.30
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	18.70	18.63	19.33	20.17	20.94	21.64

कर प्रशासन एवं कराधान

- आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित कर प्रणालियों के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं। इस वर्ष लगभग 17.65 लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किये गये हैं। विभागीय वेब–पोर्टल से जनवरी, 2016 तक रूपये 9,813 करोड़ जमा हुये हैं। ई–पेमेंट को और सुदृढ़ बनाने हेतु पेमेंट गेटवे को ट्रेजरी के साथ इंटीग्रेट करना प्रस्तावित है। इस वर्ष जनवरी, 2016 तक पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा ऑन–लाईन सुविधा का लाभ लेते हुये विभागीय वेब पोर्टल से 48.50 लाख विभिन्न वैधानिक फार्म डाउनलोड किये गये हैं।

- राज्य के व्यवसाईयों द्वारा इस वर्ष 2,70,050 प्रकरणों का स्वकर निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त करदाताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से डीम्ड कर निर्धारण योजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 की अवधि के 1,82,833 प्रकरणों का डीम्ड कर निर्धारण किया गया।

- कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कर वापसी की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये ई–रिफण्ड की व्यवस्था की गई है।

- वेट अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची–2 में वर्णित समस्त कर योग्य वस्तुओं के अभिवहन पर फार्म–49 की अनिवार्यता की जा रही है। इस हेतु मोबाईल चेकिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं संसाधनयुक्त बनाया जायेगा। कतिपय वस्तुओं में कर अपवंचन की प्रवृति को रोकने के उद्देश्य से राज्य के भीतर व्यवसाय में भी अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) की व्यवस्था प्रारंभिक तौर पर लोहा, इस्पात, तिलहन एवं खाद्य तेल, पान मसाला तथा चाय पर लागू की जाना प्रस्तावित है।

- पंजीयन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिये पासवर्ड तथा पंजीयन क्रमांक को व्यवसाई को ईलेक्ट्रोनिकली भी सूचित किया जाना तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र को डाउनलोडेबल बनाये जाना प्रस्तावित है। ई–पंजीयन की लोकप्रियता को देखते हुये मैन्युअल पंजीयन जारी करने की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त की जा रही है। वर्तमान में वेट अधिनियम के अंतर्गत एक ही कार्य दिवस में पंजीयन जारी करने का प्रावधान है। वृत्तिकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम में भी पंजीयन जारी करने हेतु एक कार्य दिवस की सीमा निर्धारित की जा रही है।

- समस्त पंजीयत व्यवसाईयों की डीलर प्रोफाईल बनाई जायेगी।

- वर्तमान में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु टर्नओवर की सीमा 20 लाख रूपये है, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रूपये किया जा रहा है, इससे छोटे व्यवसाईयों को सुविधा होगी और वे वर्ष मे 4 विवरण पत्र के स्थान पर एक ही विवरण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

- कर विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से कर समाधान योजना लायी जाना प्रस्तावित है।

- करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से श्योपुर एवं पन्ना में वाणिज्यिक कर, वृत्त कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। पीथमपुर वृत्त को रतलाम संभाग के स्थान पर इंदौर संभाग–1 एवं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र को भिण्ड वृत्त के स्थान पर ग्वालियर वृत्त–1 में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कर प्रशासन की दृष्टि से किये जाने वाले सुधार कार्यः–

- कर प्रणाली की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से 25 करोड़ रूपये या उससे अधिक वार्षिक अथवा 6.25 करोड़ रूपये प्रति त्रैमासिक कर जमा करने वाले व्यवसाईयों के लिये त्रैमास के प्रथम एवं द्वितीय माह का वास्तविक देय कर आगामी माह की 10 तारीख के स्थान पर आगामी माह की 06 तारीख या उसके पूर्व जमा किया जाना प्रस्तावित है। देय राशि का भुगतान एवं विवरण पत्र को व्यवसाई समय पर प्रस्तुत करें, इस हेतु विलंब से भुगतान किये जाने पर ब्याज की दर 3 माह से अधिक विलंब होने पर 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। 3 माह से कम विलंब होने पर ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ही रहेगी।

- अपंजीयत ठेकेदारों से टी.डी.एस. का कटोत्रा 3 प्रतिशत की दर से किया जाना प्रस्तावित हैं। पंजीयत व्यवसाईयों हेतु यह दर 2 प्रतिशत ही रहेगी।

- ई–कॉमर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये ई–कॉमर्स अंतर्गत क्रय की गई वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग हेतु प्रवेश कराने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित करना प्रस्तावित है।

- अंतर्राज्यीय विक्रय में कर अनुपालन में वृद्धि हेतु ट्रेडर्स द्वारा माल का यथावत अंतर्राज्यीय विक्रय करने पर वेट अधिनियम के अंतर्गत आई.टी.आर. उसी दर से दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिस दर से केन्द्रीय विक्रय कर संगणित होगा। इसी प्रकार अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक, ड्राईंग बुक तथा प्रयोगशाला नोटबुक के निर्माताओं की कठिनाईयों को देखते हुये एवं इन उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में कर चुकाकर क्रय किये गये कागज पर उपरोक्त व्यवसाइयों को 2 प्रतिशत राशि रोककर शेष 3 प्रतिशत की आगतकर रिबेट दिये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

•एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने संबंधी धारा–34 के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके निराकरण हेतु 60 दिवस की समयावधि निर्धारित की जा रही है।

•कर अपवंचन एवं अन्य विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अथवा कार्यवाही के दौरान उक्त की जाने वाली कार्यवाही में राजस्व की संभावित क्षति को रोकने के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों द्वारा देय अथवा भविष्य में देय राशि का प्रावधिक रूप से भुगतान स्थगित रखे जाने का आदेश दिये जाने संबंधी प्रावधान किया जायेगा।

कराधान

वेट

•हमारी सरकार का उद्देश्य रहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाये। इस हेतु पूर्व में 38 कृषि यंत्रों को कर मुक्त किया गया है। इसी क्रम में जैविक कीटनाशक एवं दूध दुहने की मशीन को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

•कुटीर उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से वर्तमान में सूखे बेर एवं बेर चूर्ण पर क्रमशः 5 एवं 14 प्रतिशत देय कर को कर मुक्त किया जा रहा है।

•पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से समस्त प्रकार की बैटरी चलित कार एवं बैटरी चलित रिक्शा एवं बैटरी चलित वाहनों पर देय वेट 5 प्रतिशत को समाप्त कर इसे कर मुक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार बायो डिग्रेडेबल सामग्री से निर्मित बैग तथा लिफाफा पर देय वेट 5 प्रतिशत को समाप्त किया जाकर कर मुक्त किया जा रहा है।

•तिलहन उद्योग की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये तेल रहित खली जिसमें सोया मील सम्मिलित है, कपास्या खली, सरसों खली तथा मक्का खली पर देय 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर को जीरो रेटेड किया जाना प्रस्तावित है।

•देश की सीमा की रक्षा करने में सैनिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सेना में कार्यरत अधिकारियों/जवानों को कैंटीन स्टोर के माध्यम से बेचे जाने वाली कार पर 4 प्रतिशत वेट की दर की जाना प्रस्तावित है।

•सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) मे कार्यरत अधिकारियों एवं जवानों को केन्द्रीय पुलिस कैंटीन के माध्यम से बेचे जाने वाले माल पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से बेचे जाने वाले माल की भांति कर की दर की जाना प्रस्तावित है।

•भारी माल वाहक यान, जिनका सकल यान भार 12,000 किलो ग्राम से अधिक है, पर वेट की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की जाना प्रस्तावित है।

•वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण करते हुये निम्नलिखित वस्तुओं पर वेट की दर 14 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित हैः–

1सोया मिल्क

2डायलसिस मशीन एवं कंज्यूमेवल्स

3 बायोफ्यूल आधारित धुंआ रहित चूल्हा, गैस स्टोव तथा इंडक्शन कुक टॉप के पार्टस तथा एसेसरीज

•प्रदेश के विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिये निम्न उपाय प्रस्तावित हैः–

(अ) पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक से निर्मित कप, गिलास, प्लेट, थाली, कटोरी, कांटा, छुरी, चम्मच, पोलीथिन थैली एवं प्लास्टिक बैग तथा सैक (एच.डी.पी.ई. बैग तथा सैक को छोड़कर) पर वेट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) रूपये 10000 मूल्य से अधिक की साईकिल पर 5 प्रतिशत वेट प्रस्तावित है।

(स) ग्लास मिरर पर वेट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(द) गैस गीजर पर वेट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर

•प्रवेशकर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में दी गई रियायतों को वर्ष 2016–17 में भी यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

•पंजीयत व्यवसाईयों द्वारा नेचुरल गैस राज्य के बाहर से आयात कर सी–2/सी–3 मिक्स के निर्माण में उपयोग करने तथा नेचुरल गैस का गैस पाईप लाईन से भिन्न माध्यम से राज्य के बाहर से लाये जाने पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4–ए के अन्तर्गत अधिसूचित बढ़ी हुई दर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय विक्रय कर

•केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत 2015–16 में दी गई रियायतों को वर्ष 2016–17 में भी यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

मनोरंजन कर

- वर्तमान में राज्य में नवीन निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स एवं वर्तमान सिनेमाघरों को नवीन मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित करने पर मनोरंजन कर से 05 वर्ष तक छूट का लाभ अब यथास्थिति सिनेमाघरों के भू–स्वामी अथवा सिनेमाघरों को पट्टे पर लेने वाले पट्टाधारी को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

- मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक में ''ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन'' एवं ''पेडल बोट से संचालित जल क्रीड़ा के संबंध में अवधि 31 मार्च, 2016 तक मनोरंजन कर से दी गई छूट को वर्ष 2016–17 में भी यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक

- ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अनुसार ही, मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना, 2013 अंतर्गत लाभान्वित होने वाले श्रमिक हितग्राहियों को स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदाय की जायेगी।

- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, आम जनता के संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा कर चोरी रोकने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगेः–

1. ऐसे दस्तावेजों को अधिसूचित किया जायेगा, जिनके रजिस्ट्रीकरण हेतु पक्षकारों को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं होगा। पहले चरण में मॉर्टगेज के प्रति हस्तांतरण, लीज सरेण्डर तथा अपार्टमेंट एक्ट के तहत बिल्डरों द्वारा किये जाने वाले घोषणा पत्रों जैसे दस्तावेजों को अधिसूचित किया जायेगा।

2. अपनी शिनाख्त हेतु यदि पक्षकार अपने आधार कार्ड को प्रस्तुत करता है और इसका ऑन–लाईन सत्यापन हो जाता है तो गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी।

3. मॉर्टगेज आदि के संबंध में बैंक अधिकारी द्वारा ही संपदा ई–पंजीयन के अंतर्गत ऋण संबंधी प्रविष्टि करने का प्रावधान किया जायेगा, ताकि मॉर्टगेज संपत्ति को धोखे से बेचे जाने पर रोक लगाई जा सके। इन दस्तावेजों के संबंध में फाईल किया जाने वाला डिक्लेरेशन संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा ही ई–फाईल किये जाने का प्रावधान भी लाया जायेगा।

4. वर्तमान में कृषि भूमि के रजिस्ट्रीकरण हेतु ऋण पुस्तिका तथा खसरा नकल लिये जाने का प्रावधान है, किंतु गैर कृषि संपत्ति हेतु किसी अभिलेख की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ऐसे दस्तावेजों में भी प्रमाणस्वरुप सम्पत्ति कर रसीद, बिजली बिल की प्रति इत्यादि लिये जाने का प्रावधान किया जायेगा, ताकि फ्रॉड दस्तावेजों की आशंका समाप्त की जा सके।

5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम में यह प्रावधान किया जायेगा कि यदि पक्षकार द्वारा संपत्ति का बाजार मूल्य कम लिखा जाता है तो उसके कारण हुई कमी को स्टाम्प शुल्क के साथ–साथ 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की वसूली भी की जा सकेगी।

6. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1982 के तहत दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर उपकर को सम्पत्ति के मूल्य पर 0.125 प्रतिशत् से बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत् किया जायेगा। इससे प्राप्त अतिरिक्त राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जायेगा।

7. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 133–क के तहत दस्तावेजों पर प्रभार्य अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। इससे प्राप्त अतिरिक्त राशि को प्रदेश के नगरीय निकायों की विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

8. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन शहरों में 1 अप्रैल, 2016 से सम्पदा ई–पंजीयन के अंतर्गत सम्पत्ति की सेटेलाईट इमेजरी को दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के समय लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इससे संपत्ति से संबंधित फ्राड को रोका जा सकेगा जिससे आम जनता को लाभ होगा।